The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 12 | December 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

डिजिटल निगरानी और निजता का अधिकार: समाज पर इसके प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

अवनीश सिंह

शोध छात्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.), भारत, ईमेल: tavanishsgmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18266234

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 29-12-2025

Published: 10-01-2026

Keywords:

डिजिटल निगरानी, निजता का अधिकार, सामाजिक नियंत्रण, शक्ति, लोकतंत्र, भारत

ABSTRACT

डिजिटल निगरानी समकालीन समाज की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में उभरकर सामने आई है, जो सामाजिक संबंधों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित कर रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ राज्य और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, विश्लेषण और उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ तकनीकी नवाचारों को शासन, सुरक्षा और कल्याणकारी नीतियों की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक माना जाता है, वहीं डिजिटल निगरानी और निजता के अधिकार के बीच टकराव की स्थिति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह शोध पत्र डिजिटल निगरानी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें इसके कानूनी ढाँचे, सामाजिक प्रभावों तथा राज्य, बाजार और नागरिकों के बीच विकसित हो रहे शक्ति-संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना की गई है। अध्ययन का तर्क है कि अनियंत्रित और अपारदर्शी डिजिटल निगरानी न केवल व्यक्तिगत निजता को कमजोर करती है, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी क्षीण करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तथा सामाजिक असमानताओं और बहिष्करण की प्रक्रियाओं को गहरा करती है। शोध यह भी रेखांकित करता है कि डिजिटल निगरानी की समस्या केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहराई से सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति की है। अंततः यह शोध संतुलित, पारदर्शी और अधिकार-आधारित डिजिटल निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है, जो सुरक्षा और निजता

दोनों के बीच लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित कर सके।

1. परिचय (Introduction)

डिजिटल युग में निगरानी तकनीकें मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में गहराई से प्रवेश कर चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गतिविधियों की ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियाँ, सरकारी मोबाइल एप्स तथा उन्नत डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आज व्यक्तियों की दैनिक गतिविधियाँ निरंतर निगरानी के दायरे में आ गई हैं। आधुनिक राज्य और कॉरपोरेट संस्थाएँ इन तकनीकों को सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता, अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साधन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तथापि, इन तकनीकों का व्यापक और अनियंत्रित उपयोग व्यक्ति की निजता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता से जुड़े मूलभूत प्रश्न भी उत्पन्न करता है।

भारतीय संदर्भ में, न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ (2017) का निर्णय एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसमें निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया गया। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए निजता अनिवार्य है। इसके बावजूद, डिजिटल प्रशासन, ई-गवर्नेंस और निगरानी तंत्र के तेजी से हो रहे विस्तार ने निजता के संरक्षण को व्यावहारिक रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटल निगरानी को केवल तकनीकी या कानूनी समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, जो शक्ति के नए रूपों, सामाजिक नियंत्रण की उभरती संरचनाओं तथा राज्य-नागरिक और बाजार-नागरिक संबंधों में हो रहे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करती है। डिजिटल निगरानी के माध्यम से जहाँ एक ओर शासन की क्षमता और नियंत्रण बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता पर सूक्ष्म लेकिन गहरे प्रभाव पड़ते हैं। इस संदर्भ में, डिजिटल निगरानी आधुनिक समाज में लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और सामाजिक समानता की प्रकृति को पुनर्परिभाषित करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक वास्तविकता के रूप में उभरती है।

2. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

डिजिटल निगरानी और निजता का अधिकार हाल के वर्षों में समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, विधि तथा मीडिया अध्ययन जैसे अनुशासनों में एक महत्त्वपूर्ण शोध क्षेत्र के रूप में उभरा है। समकालीन विद्वानों ने डिजिटल निगरानी को केवल एक तकनीकी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, सामाजिक नियंत्रण, पूंजीवादी संरचनाओं,

लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवाधिकारों से गहराई से जुड़ी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों संदर्भों में उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि डिजिटल तकनीकों के विस्तार ने सामाजिक जीवन की प्रकृति को मौलिक रूप से प्रभावित किया है, विशेष रूप से व्यक्ति और राज्य के संबंधों के संदर्भ में।

निगरानी और सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में मिशेल फूको (1977) का कार्य डिजिटल निगरानी को समझने का सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। अपनी प्रसिद्ध कृति Discipline and Punish में फूको ने 'पैनोप्टिकन' की अवधारणा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि निरंतर निगरानी की संभावना व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण के लिए बाध्य करती है। आधुनिक डिजिटल निगरानी को इस पैनोप्टिकन का उन्नत और अदृश्य रूप माना जा सकता है, जहाँ व्यक्ति वास्तविक निगरानी की उपस्थिति के बजाय उसकी संभावना के कारण अपने व्यवहार, विचार और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार डिजिटल निगरानी सामाजिक नियंत्रण के एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है।

डेविड लायन (2007, 2018) ने डिजिटल निगरानी को आधुनिक समाज की एक सांस्कृतिक विशेषता के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार, डिजिटल तकनीकों ने निगरानी को इस हद तक सामान्यीकृत कर दिया है कि वह दैनिक जीवन का स्वाभाविक और स्वीकृत हिस्सा बन गई है। लायन यह भी रेखांकित करते हैं कि निगरानी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान नहीं होता; बल्कि यह पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को और अधिक सुदृढ़ करता है। हाशिए पर स्थित समूह अक्सर अधिक निगरानी के दायरे में आते हैं, जिससे सामाजिक बहिष्करण की प्रक्रियाएँ और तीव्र हो जाती हैं।

निगरानी, पूंजीवाद और डेटा के वस्तुकरण के संबंध को समझने में शोशाना जुबॉफ़ (2019) का 'निगरानी पूंजीवाद' सिद्धांत विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स के शोषण सिद्धांत से प्रेरित होकर जुबॉफ़ तर्क देती हैं कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत डेटा को कच्चे माल की तरह एकत्र कर आर्थिक लाभ और व्यवहार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की निजता केवल कमजोर ही नहीं होती, बल्कि व्यक्ति स्वयं एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसी संदर्भ में आंद्रेयेविक (2014) का यह तर्क भी महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल निगरानी में सहभागिता भले ही स्वैच्छिक प्रतीत हो, किंतु वास्तव में यह संरचनात्मक दबावों और विकल्पों की कमी द्वारा संचालित होती है, विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में।

लोकतंत्र और डिजिटल निगरानी के बीच संबंध पर भी व्यापक साहित्य उपलब्ध है। युर्गेन हाबर्मास (1989) के सार्वजनिक क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, स्वतंत्र, निर्बाध और आलोचनात्मक संवाद लोकतंत्र की आधारशिला है। डिजिटल निगरानी इस सार्वजनिक क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि निरंतर निगरानी की भावना

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'चिलिंग इफेक्ट' उत्पन्न करती है। व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने से कतराने लगता है, जिससे सार्वजनिक विमर्श और लोकतांत्रिक सहभागिता कमजोर होती है।

भारतीय संदर्भ में, बैंड्योपाध्याय (2018) और चंद्रा (2020) जैसे विद्वानों ने डिजिटल पहचान प्रणालियों और निगरानी नीतियों के लोकतांत्रिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। उनके अध्ययन दर्शाते हैं कि आधार जैसी डिजिटल प्रणालियाँ एक ओर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हुई हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य की निगरानी क्षमता को अत्यधिक विस्तारित किया है। इससे राज्य और नागरिकों के बीच शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है।

उपलब्ध साहित्य के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल निगरानी पर पर्याप्त सैद्धांतिक, विधिक और नीतिगत अध्ययन किए गए हैं। तथापि, भारतीय समाज के संदर्भ में डिजिटल निगरानी के प्रतिदिन के सामाजिक अनुभवों, हाशिए पर स्थित समुदायों पर इसके प्रभाव तथा आम नागरिकों की धारणा और प्रतिक्रिया पर केंद्रित समाजशास्त्रीय अध्ययन अभी भी सीमित हैं। वर्तमान शोध इन्हीं रिक्तियों को संबोधित करते हुए डिजिटल निगरानी और निजता के प्रश्न को एक व्यापक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है।

3. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल निगरानी और निजता के अधिकार के सामाजिक प्रभावों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। शोध की प्रकृति मुख्यतः गुणात्मक एवं सैद्धांतिक है, जिसमें फूको, डेविड लायन, शोशाना जुबॉफ़ और हैबरमास जैसे विद्वानों के सिद्धांतों के माध्यम से डिजिटल निगरानी, सामाजिक नियंत्रण और निजता के क्षरण को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र भारतीय शहरी समाज है तथा अध्ययन इकाई के रूप में विश्वविद्यालय के छात्र, कार्यरत युवा और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के सक्रिय उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया है। शोध में प्रमुख रूप से द्वितीयक स्रोतों—जैसे समाजशास्त्रीय पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, सरकारी रिपोर्टें, अधिनियम और न्यायिक निर्णय—का उपयोग किया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ (2017) का निर्णय विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। संकलित सामग्री का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण एवं आलोचनात्मक विवेचना के माध्यम से किया गया है। अध्ययन की सीमा यह है कि यह मुख्यतः द्वितीयक डेटा तथा शहरी समाज तक सीमित है, जबकि ग्रामीण, जनजातीय एवं तकनीकी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण इस शोध के दायरे से बाहर रहा है।

4. डिजिटल निगरानी के स्वरूप (Forms of Digital Surveillance)

डिजिटल निगरानी आधुनिक समाज का एक प्रमुख और बहुआयामी पक्ष बन चुकी है, जो राज्य, बाजार तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न रूपों में संचालित होती है। यह निगरानी न केवल व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उसके सामाजिक व्यवहार, पहचान निर्माण और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी गहरा प्रभाव डालती है। डिजिटल तकनीकों के विस्तार के साथ निगरानी के स्वरूप अधिक जटिल और सर्वव्यापी हो गए हैं। इसके प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं—

(क) सरकारी निगरानी (Government Surveillance)

सरकारी निगरानी के अंतर्गत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचार निगरानी, आधार जैसी बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियाँ, डिजिटल पहचान कार्यक्रम तथा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन उपायों को सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक दक्षता और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के नाम पर उचित ठहराया जाता है। किंतु इन प्रणालियों से राज्य की निगरानी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों की निजता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रश्न उठते हैं।

(ख) निगरानी पूंजीवाद (Surveillance Capitalism)

शोशाना जुबॉफ़ (2019) के अनुसार, निगरानी पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें निजी कॉरपोरेट संस्थाएँ उपयोगकर्ताओं के डिजिटल व्यवहार से उत्पन्न डेटा को एकत्र कर उसे आर्थिक लाभ, व्यवहार पूर्वानुमान और उपभोक्ता नियंत्रण के लिए प्रयोग करती हैं। सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का निजी डेटा एक वस्तु (Commodity) में परिवर्तित हो जाता है, जिससे निजता का वस्तुकरण और पूंजीकरण होता है।

(ग) शहरी एवं कार्यस्थल निगरानी (Urban and Workplace Surveillance)

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यापक स्थापना तथा कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की ईमेल, इंटरनेट उपयोग और कार्य निष्पादन की डिजिटल निगरानी तेजी से बढ़ी है। इस प्रकार की निगरानी से निजी और सार्वजनिक जीवन की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं तथा निरंतर निगरानी की भावना कर्मचारियों और नागरिकों के व्यवहार, कार्य संस्कृति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है।

(घ) स्व-निगरानी एवं सोशल मीडिया निगरानी (Self-Surveillance and Social Media Surveillance)

डिजिटल समाज में निगरानी का एक महत्त्वपूर्ण और अपेक्षाकृत नया स्वरूप स्व-निगरानी है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी गतिविधियों, विचारों और छवि को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नियंत्रित एवं प्रस्तुत करता है। सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर, फॉलोअर्स और एल्गोरिदमिक प्रतिक्रियाओं के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को प्लेटफॉर्म की अपेक्षाओं के अनुसार ढालता है। डेविड लायन के अनुसार, यह निगरानी का ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति स्वयं निगरानी प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बन जाता है। इस प्रकार की स्व-निगरानी सामाजिक तुलना, आत्म-सेंसरशिप और मानसिक दबाव को बढ़ावा देती है।

इस प्रकार, डिजिटल निगरानी के विभिन्न स्वरूप आधुनिक समाज में सत्ता, नियंत्रण और निजता के नए आयामों को उजागर करते हैं, जिनका समाजशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है।

Table 1: भारत में डिजिटल निगरानी के प्रमुख क्षेत्र और सामाजिक प्रभाव

निगरानी क्षेत्र	उदाहरण / प्रोग्राम	उद्देश्य / कारण	सामाजिक प्रभाव
सरकारी निगरानी	आधार (Aadhaar), आरोग्य सेतु ऐप, डिजिटल पहचान प्रणालियाँ	नागरिक पहचान, कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा	निजता पर दबाव; राज्य के प्रति विश्वास प्रभावित; हाशिए के समूहों पर असमान प्रभाव
निगरानी पूंजीवाद	सोशल मीडिया (Facebook, Instagram, Twitter), सर्च इंजन (Google)	डेटा संग्रह, विज्ञापन और उपभोक्ता व्यवहार नियंत्रण	व्यक्तियों का डेटा वस्तु में बदलना; व्यवहार पर प्रभाव; सामाजिक तुलना और स्व-निगरानी बढ़ना
कार्यस्थल निगरानी	सरकारी और निजी कार्यालयों में CCTV, ऑनलाइन काम ट्रैकिंग, ईमेल मॉनिटरिंग	उत्पादकता मापन, नियम पालन, साइबर सुरक्षा	कर्मचारियों में तनाव; निजी-जनता जीवन की सीमाएं धुंधली; आत्म-सेंसरशिप बढ़ना
स्व-निगरानी / सोशल मीडिया निगरानी	TikTok, Instagram Reels, LinkedIn पोस्ट्स, डिजिटल फीड पर प्रतिक्रियाएँ	डिजिटल पहचान बनाए रखना, सामाजिक प्रतिष्ठा	व्यक्ति स्वयं अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है; सामाजिक दबाव और मानसिक तनाव बढ़ना

5. निजता के अधिकार का सामाजिक महत्व (Social Significance of the Right to Privacy)

निजता का अधिकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज दोनों के संतुलित विकास की आधारशिला है। निजता व्यक्ति को भय, दबाव और अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त होकर सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध का अधिकार और सक्रिय राजनीतिक सहभागिता तभी संभव है जब व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसके निजी विचार और गतिविधियाँ निरंतर निगरानी के अधीन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, निजता व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं से परे जाकर अपनी स्वतंत्र पहचान, विचारधारा और व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करती है, जो स्वस्थ सामाजिक संरचना के लिए अनिवार्य है।

6. समाज पर डिजिटल निगरानी के प्रभाव (Impact of Digital Surveillance on Society)

डिजिटल निगरानी के विस्तार ने समाज के विभिन्न आयामों पर गहरे और बहुआयामी प्रभाव डाले हैं। निरंतर निगरानी की भावना व्यक्तियों में स्व-नियंत्रण और व्यवहार परिवर्तन को जन्म देती है, जिसे "चिलिंग इफेक्ट" कहा जाता है, जिसके कारण लोग अपने विचारों, अभिव्यक्ति और गतिविधियों को सीमित करने लगते हैं। डिजिटल निगरानी का प्रभाव सभी सामाजिक समूहों पर समान नहीं होता; अल्पसंख्यक, हाशिए पर स्थित समुदाय तथा राजनीतिक रूप से सक्रिय वर्ग अधिक निगरानी और नियंत्रण का सामना करते हैं, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ता है।

इसके साथ ही, राज्य और कॉरपोरेट संस्थाओं के पास नागरिकों की तुलना में अत्यधिक डेटा और जानकारी होने से शक्ति का गंभीर असंतुलन उत्पन्न होता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौतीपूर्ण है। लगातार निगरानी की स्थिति नागरिकों और संस्थाओं के बीच सामाजिक विश्वास को कमजोर करती है, जिससे सामाजिक एकजुटता और पारस्परिक विश्वास प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, निगरानी की निरंतर चेतना व्यक्तियों में तनाव, चिंता और मानसिक दबाव को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके सामाजिक संबंधों और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार, डिजिटल निगरानी न केवल तकनीकी या प्रशासनिक विषय है, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और लोकतांत्रिक परिणाम हैं, जिनका गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक है।

7. समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या (Sociological Interpretation of Digital Surveillance)

डिजिटल निगरानी को समझने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि वे इसे केवल तकनीकी प्रक्रिया न मानकर शक्ति, नियंत्रण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों के व्यापक संदर्भ में विश्लेषित करते हैं। इस अध्ययन में मिशेल फूको, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के साथ-साथ डेविड लायन और शोशाना जुबॉफ़ के विचारों के माध्यम से डिजिटल निगरानी के सामाजिक अर्थों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है।

मिशेल फूको का पैनोप्टिकन सिद्धांत डिजिटल निगरानी को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। फूको के अनुसार निरंतर निगरानी की संभावना ही व्यक्ति को आत्म-अनुशासन के लिए बाध्य कर देती है। आधुनिक डिजिटल तकनीकें—जैसे सीसीटीवी, सोशल मीडिया निगरानी और डेटा ट्रैकिंग—डिजिटल पैनोप्टिकन के रूप में कार्य करती हैं, जहाँ निगरानी अदृश्य और सर्वव्यापी होती है तथा सामाजिक नियंत्रण बिना प्रत्यक्ष बल के संभव हो जाता है।

मैक्स वेबर के तर्कसंगतता और नौकरशाही के सिद्धांत डिजिटल निगरानी के प्रशासनिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। वेबर के अनुसार आधुनिक शासन तर्कसंगत-कानूनी सत्ता और नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित होता है। डिजिटल निगरानी इस प्रक्रिया का विस्तार है, जहाँ नागरिकों को डेटा इकाइयों के रूप में वर्गीकृत कर शासन और प्रशासन को अधिक नियंत्रक बनाया जाता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता औपचारिक नियमों के अधीन हो जाती है।

कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी शोषण के सिद्धांत के माध्यम से डिजिटल निगरानी के आर्थिक आयामों को समझा जा सकता है। समकालीन डिजिटल समाज में व्यक्तिगत डेटा एक वस्तु में परिवर्तित हो गया है। शोशाना जुबॉफ़ का 'निगरानी पूंजीवाद' इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जहाँ कॉरपोरेट संस्थाएँ डेटा के माध्यम से मुनाफा और व्यवहार नियंत्रण करती हैं, और व्यक्ति स्वयं एक उत्पाद में बदल जाता है।

डेविड लायन के अनुसार डिजिटल निगरानी एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया बन चुकी है, जिसका प्रभाव सभी समूहों पर समान नहीं पड़ता। अल्पसंख्यक और हाशिए पर स्थित समुदाय अधिक निगरानी का सामना करते हैं, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ता है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय सिद्धांत डिजिटल निगरानी को शक्ति, नियंत्रण और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्नों से जोड़कर समझने में सहायक होते हैं।

तालिका 2: डिजिटल निगरानी के सामाजिक परिणाम – समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

सामाजिक आयाम	डिजिटल निगरानी का प्रभाव	सम्बंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांत
सामाजिक नियंत्रण	व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करने लगता है	फूको – पैनोप्टिकन

शक्ति संरचना	राज्य व कॉरपोरेट की शक्ति में वृद्धि	वेबर – नौकरशाही
सामाजिक असमानता	हाशिए के समूहों पर अधिक निगरानी	मार्क्सवादी दृष्टिकोण
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	'चिलिंग इफेक्ट', आत्म-सेंसरशिप	उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत
सामाजिक विश्वास	सरकार व संस्थाओं पर अविश्वास	सामाजिक पूंजी सिद्धांत

Source:

- Weber, M. (1922). Economy and Society.
- Marx, K. (1867). Capital, Vol. I.
- Lyon, D. (2007). Surveillance Studies: An Overview.

8. निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestions)

डिजिटल निगरानी आधुनिक समाज की एक अपरिहार्य वास्तविकता बन चुकी है, जिसने शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि इसे सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी प्रगति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इसका अनियंत्रित और असंतुलित विस्तार निजता के अधिकार, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। स्पष्ट रूप से यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रकृति की है, जिसके दूरगामी प्रभाव व्यक्ति–राज्य संबंधों और सामाजिक विश्वास पर पड़ते हैं।

सुझाव (Suggestions):

डिजिटल निगरानी के नकारात्मक प्रभावों को सीमित करने हेतु सुदृढ़, स्पष्ट और प्रभावी डेटा संरक्षण कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके साथ ही निगरानी प्रणालियों पर नियंत्रण हेतु स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरणों की स्थापना तथा न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। राज्य और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा डेटा संग्रह और उपयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। नागरिकों में डिजिटल साक्षरता और निजता संबंधी अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही, हाशिए पर स्थित और कमजोर समुदायों पर डिजिटल निगरानी के प्रभावों को समझने के लिए अधिक गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है।

एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि निगरानी की शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए और सुरक्षा के नाम पर निजता के अधिकार का अंधाधुंध त्याग न किया जाए। डिजिटल समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम तकनीकी विकास और मानव अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करते

हैं। विवेकपूर्ण नीतियाँ और सामाजिक चेतना ही एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक डिजिटल समाज का आधार बन सकती हैं।

संदर्भ सूची (References)

- भारत सरकार. (2000). सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000. नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय।
- भारत सरकार. (2023). डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023. नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (2017). न्यायमूर्ति के. एस. पुत्तास्वामी (से.नि.) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1।
- बनर्जी, के. (2019). भारत में आधार और निगरानी का प्रश्न. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (हिंदी संस्करण), 54(12), 45–52।
- मेनन, नंदिनी. (2021). निजता का अधिकार और भारतीय राज्य. समाजशास्त्रीय विमर्श, 6(2), 23–34।
- सिंह, आर. (2020). डिजिटल शासन और लोकतांत्रिक चुनौतियाँ. भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 8(1), 67–78।
- फूको, मिशेल. (1977). डिसिप्लिन एंड पनिश: द बर्थ ऑफ द प्रिजन. न्यूयॉर्क: पैंथियन बुक्स।
- वेबर, मैक्स. (2012). समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत (हिंदी अनुवाद). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
- मार्क्स, कार्ल. (2008). पूंजी: खंड–1 (हिंदी अनुवाद). नई दिल्ली: प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स।
- Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. Cambridge, UK: Polity Press.
- Weber, M. (1922). Economy and society. Berkeley, CA: University of California Press.